





Ajmer- 305 002 (Rajasthan) Email-ro.ajmer@ibm.gov.in





भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ09014

दिनांक: 06.09.2022

संख्या: RAJ/CHR/LST-14

प्रेषित : प्रजेंट, धनोरा लाइमस्टोन माइन,

मैसर्स वंडर सीमेंट लिमटेड,पो. आ.- आर.के. नगर, तहसील-निम्बाहेड़ा ,जिला-चितोडगढ़ (राजस्थान)

Email- info@wondercement.com, mk.bokadia@wondercement.com

पिषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Dhanora**Limestone Mine (Lease area 255.0032 Hect.) in Chittorgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 30.07.2022 by the undersigned in presence of Sh. Girish Shringi,

Mine Manager & Sh. Om Prakash Rajpurohit, Geologist:

Mine Manager & Sn. Om Prakash Rajpurollit, Geologist.	
Rule No.	Nature of violation observed in detail
Ruic 140.	Modified
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified
	Mining Plan (Approved on 30.08.2019) for the year 2021-22:
	1 1 1 1 1 0 1 0 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1	1) Crusher installation was proposed between local grid 810S to 720S & 620E to 750E whereas
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	actual crusher installation work is going between local grid 615S to 735S & 125E to 255E.
1	and an analysis of the second
	2) Plantation during the year 2021-22 has not been carried out on proposed location.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है। 03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> (डी. आर. मुर्जर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)

2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।

3 सहायक खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चितोङगढ़।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो